

कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक – 1 संगठन, कृत्य तथा कर्तव्यों की विशिष्टताएँ :

राज्य शासन स्तर पर मछली पालन विभाग के संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु जिला उज्जैन में कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग उज्जैन को अधिकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत समस्त मछली पालन की गतिविधि का संचालन विभागीय अमले के माध्यम से संचालित किया जाता है । कार्य संचालन हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।

क्रमांक	योजना का विवरण	योजनाओं का सम्पादन कार्य के हेतु अधिकृत अमला
(1)	(2)	(3)
1.	तालाब पट्टा आवंटन	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
2.	मत्स्य बीज उत्पादन/संचयन	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
3.	मत्स्य उत्पादन	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
4.	मछुआ प्रशिक्षण	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
5.	मत्स्य कृषकों/मछुआ समिति को ऋण/अनुदान	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
6.	मत्स्य कृषकों का दुघटना बीमा	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
7.	बचत सह राहत	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला
8.	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु ऋण अनुदान	उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन एवं मैदानी अमला

कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक – 2, 3, 4, 9, 10

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं पद, निवास का पता एवं दूरभाष क्रमांक 1 देय वेतनमान एवं सौपा गया प्रभार संबंधित जानकारी

स. क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	निवास का पता	दूरभाष क्रमांक	देय वेतनमान	सौपा गया प्रभार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री पीयूष दुबे	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	11/5, एम.आई.जी.	2510083	15600-39100	जिला अधिकारी प्रभारी
2.	श्री यु.सी. भाटी	सहायक मत्स्य अधिकारी	एम.आई.जी. 11/5, संत कबीर नगर उज्जैन	—	9300-34800	विकास खण्ड महिदपुर/ घटिया के मत्स्यपालन गतिविधियों के एवं नानाखेडी मत्स्य प्रक्षेत्र उज्जैन
3.	श्री पी.डी. नापित	सहायक मत्स्य अधिकारी	सी. 3/12, महानन्दा नगर, उज्जैन	—	9300-34800	उज्जैन/तराना विकास खण्ड से संबंधित समस्त मत्स्यपालन
4.	श्री एम. के. मिश्रा					
5.	श्री जे.के. वरैहया	मत्स्य निरीक्षण	59, न्यु अशोक नगर उज्जैन	—	4000-6000	घटिया/खाचरौद/ बडनगर विकासखण्ड से संबंधित समस्त मत्स्य पालन गतिविधियों के प्रभारी एवं अर्नियाजलाशय
6.	श्री आई. एम. शेख	सहायक - 1	एम.आई.जी. 11/5 संत कबीर नगर उज्जैन	—	5200-20200	
7.	श्रीमती हीरा उईके	सहायक - 2	10, गांधी नगर कॉलोनी, उज्जैन	—	5200-20200	स्थापना, जांच, न्यायालयीन प्रकरण, गोपनीय, स्टेशनरी, वाहन
8.	श्री अशोक गोठवाल	सहायक ग्रेड-3	41/3, किशनपुरा उज्जैन	—	5200-20200	भण्डार, कम्प्यूटर कार्य एवं टाईपिंग
9.	श्री केषर सिंह	सहायक ग्रेड-3	न्यू अशोक नगर उज्जैन	—	5200-20200	आवक-जावक कार्य
10.	श्री घनश्याम परमार	भृत्य	167, गली नम्बर 5, नामदारपुरा, उज्जैन	—	5200-20200	ट्रेझरी, एवं कार्यालयीन कार्य
11.	श्री भुवनेश्वर	भृत्य	ई.डब्ल्यू.एस.-आई मुनीनगर उज्जैन	—	4440-7440	कार्यालयीन कार्य
12.	श्री गोकुल सिंह	मत्स्य जमादार	59, न्यू अशोक नगर उज्जैन	—	5200-20200	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र
13.	श्री केशवलाल	मत्स्य जमादार	फाजलपुरा, उज्जैन	—	5200-20200	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र
14.	श्री रामप्रसाद	मत्स्य जमादार	नानाखेडा, उज्जैन	—	5200-20200	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र
15.	श्री रामचन्द्र	मत्स्य जमादार	अशोक नगर, उज्जैन	—	5200-20200	अर्निया बहादुर जलाशय
16.	श्री मुकेश	टैंक चौकीदार	पंचमपुरा, उज्जैन	—	4440-7440	जिला पंचायत, उज्जैन

कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

उक्त बिन्दु क्रमांक के अन्तर्गत

स. क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	एच.आर.ए.	सी.सी.ए.	धुलाई भत्ता	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री पीयूष दुबे	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	22580	3613	400	—	—	26593
2.	श्री यु.सी. भाटी	सहायक मत्स्य अधिकारी	19550	3128	398	—	—	23076
3.	श्री पी.डी. नापित	सहायक मत्स्य अधिकारी	18720	2995	354	10	—	22069
4.	श्री एम.के. मिश्रा	उपयंत्री	18720 8300 + 4150	2995 5852	354 332	— —	— —	22069 18634
5.	श्री जे.के. वरैहया	मत्स्य निरीक्षण	5800 + 2900	4089	145	10	आई.आर. 1740	14684
6.	श्री आई.एम. शेख	सहायक — एक	16770	3186	344	—	—	20300
7.	श्रीमती हीरा उईके	सहायक — 2	13300	2128	296	—	—	15684
8.	श्री अशोक गोठवाल	सहायक ग्रेड—3	8940	1430	167	—	—	10537
9.	श्री केशरसिंह मिजाना	सहायक ग्रेड—3	9080	1453	136	—	—	10669
10.	श्री घनश्याम परमार	भृत्य	8370	1339	170	—	50	9929
11.	श्री भुवनेश्वर सिंह	भृत्य	7810	1250	160	—	50	9270
12.	श्री गोकुल सिंह	मत्स्य जमादार	9710	1554	194	—	50	11508
13.	श्री केशवलाल	मत्स्य जमादार	9420	1509	186	—	50	11163
14.	श्री रामप्रसाद	मत्स्य जमादार	8830	1413	—	—	50	10293
15.	श्री रामचन्द्र	मत्स्य जमादार	8830	1413	173	—	50	10466
16.	श्री मुकेश	टैंक चौकीदार	7810	1250	160	—	50	9270

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक – 5

समस्त शाखा प्रभारी द्वारा उक्त बिन्दु से संबंधित नस्ती का संधारण किया गया है ।

	<u>प्रभारी का नाम</u>
1. योजना शाखा ।	पी.डी. नापित
2. स्थापना शाखा ।	श्रीमती हीरा उईके
3. लेखा शाखा ।	आई.एम.शेख
4. भण्डार शाखा ।	डी.यू. भाटी
5. वाहन शाखा ।	श्रीमती हीरा उईके

कार्यालय द्वारा संधारित जानकारी :-

कार्यालय की सम्पूर्ण जानकारी विभिन्न शाखाओं के तहत संधारित की जाती है । शाखाएँ निम्नानुसार है :-

1. योजना शाखा ।
2. स्थापना शाखा ।
3. लेखा शाखा ।
4. भण्डार शाखा ।
5. वाहन शाखा ।

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

1. विभागीय योजना :- योजना शाखा :- योजना शाखा के तहत कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश की मछली पालन योजना जो जिला इन्दौर में क्रियान्वित की जाती है, साथ ही इस कार्यालय के माध्यम से मछली पालन से जुड़े सभी वर्गों के मछुआरों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाकर उनके उत्थान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी संधारित की जाती है ।

1. विभाग द्वारा योजना शाखा की जानकारी का संधारण :-

- 1.) उज्जैन जिले में उपलब्ध जलक्षेत्र सिंचाई/नगर निगम/निकाय के तालाबों की जानकारी ।
- 2.) मत्स्य पालन हेतु सिंचाई तालाब जो पट्टे पर दिये गये हैं की जानकारी ।
- 3.) जिले में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति की जानकारी ।
- 4.) जिले में समूह की जानकारी ।
- 5.) मासिक/त्रैमासिक योजना की जानकारी ।

2. मत्स्य बीज उत्पादन ईकाई :-

- 1.) शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रा नानाखेड़ा, उज्जैन ।
- 2.) निजी मत्स्य प्रक्षेत्रा/मत्स्य पालक ।

3. मत्स्य बीज संचयन :-

- 1.) सिंचाई तालाब/विभागीय/नगर पालिका निगम/निकाय के तालाब ।

4. मत्स्य उत्पादन :-

विभाग द्वारा एक तालाब में मत्स्य पालन किया जाता है ।

- 1.) अर्निया बांध ।
- 2.) सिंचाई/नगर निगम/निकाय संबंधित पट्टाधारकों द्वारा ।

5. मत्स्य कृषकों को ऋण :-

- 1.) मछुआ सहकारी समिति ।
- 2.) मछुआ समूह ।
- 3.) व्यक्तिगत ।

6. मत्स्य कृषकों को ऋण वसूली :-

- 1.) मछुआ सहकारी समिति ।
- 2.) मछुआ समूह ।
- 3.) व्यक्तिगत ।

7. मत्स्य कृषकों को अनुदान :-

- 1.) मछुआ सहकारी समिति ।
- 2.) मछुआ समूह ।
- 3.) व्यक्तिगत ।

8. मत्स्य पालकों को मछुआ प्रशिक्षण :-

- 1.) सामान्य मत्स्य पालक ।
- 2.) अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक ।
- 3.) अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक ।

9. बचत सह राहत योजना के तहत लाभांशित मत्स्योद्योग सहकारी समिति की जानकारी :-

- 1.) सामान्य मत्स्य सहकारी समिति ।
- 2.) अनुसूचित जाति के मत्स्य सहकारी समिति ।
- 3.) अनुसूचित जनजाति मत्स्य सहकारी समिति ।

10. मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा (मत्स्य कृषक) :-

- 1.) मछुआ सहकारी समिति –
 - I. सामान्य ।
 - II. अनुसूचित जाति ।
 - III. अनुसूचित जनजाति ।
- 2.) मछुआ समूह –
 - I. सामान्य ।
 - II. अनुसूचित जाति ।
 - III. अनुसूचित जनजाति ।

11. विभाग को प्राप्त आय :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी संधारण –

1. उज्जैन जिले में उपलब्ध ग्रामीण अन्य तालाब/स्वयं की भूमि अन्तर्गत निर्मित तालाबों की जानकारी ।
2. ग्रामीण तालाब जो मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिये गये है की जानकारी ।
3. स्वयं सहायता समूह/समूह को जिनहें तालाब पट्टे पर दिये गये है की जानकारी ।
4. **मत्स्य बीज संचयन** – ग्रामीण, अन्य तालाब, स्वयं भूमि में बने तालाबों में मत्स्य बीज संचयन की जानकारी । संबंधित कृषकों द्वारा ।
5. **मत्स्य उत्पादन** – ग्रामीण, अन्य तालाब, स्वयं भूमि में बने तालाबों में मत्स्य बीज संचयन की जानकारी । संबंधित कृषकों द्वारा ।
6. **ऋण** –
 - 1.) **पोण्ड कल्चर** – बैंकों को भेजे गये ऋण प्रकरणों की जानकारी स्वीकृत एवं ऋण वितरण की जानकारी ।
 - 2.) **स्वयं भूमि में तालाब निर्माण** – बैंकों को भेजे गये ऋण प्रकरणों की जानकारी स्वीकृत एवं ऋण वितरण की जानकारी ।
7. **अनुदान वितरण** –
 - 1.) **पोण्ड कल्चर** – हितग्राहियों को अनुदान वितरण की जानकारी ।
 - 2.) **स्वयं भूमि में तालाब निर्माण** – हितग्राहियों को अनुदान वितरण की जानकारी ।
8. **मुछुआ प्रशिक्षण** – मछुओं को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी ।

उज्जैन जिले में मत्स्य विभाग अन्तर्गत समस्त कार्य का सम्पादन :-

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन के माध्यम से सम्पादित किया जाता है ।
उज्जैन जिले में मछली पालन हेतु विपूल जल संसाधन ग्रामीण एवं सिंचाई तालाब तथा नदियों एवं अन्य रूप में उपलब्ध है । मछली पालन मुख्यतः समाज के सभी वर्गों के लोगों का

उत्थान का संशक्त माध्यम है । अब राज्य शासन द्वारा मछली पालन विकास के विभिन्न कार्यक्रमों मुख्य योजनाएँ बजट उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, जो निम्नानुसार है :-

1.) **त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था द्वारा तालाब आवंटन :-**

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण एवं सिंचाई तालाब औसत जलक्षेत्रा के आधार पर मत्स्य पालन के लिए ग्रामीण तालाब 10 वर्ष एवं सिंचाई तालाब 7 वर्ष हेतु शासन की नीति अनुसार पट्टे पर निम्नानुसार दिये जाते है ।

1. 0-10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्रा के तालाब ग्राम पंचायत क्षेत्रा के अन्तर्गत ।
2. 10-100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्रा के तालाब जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्रा अन्तर्गत ।
3. 100-1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्रा के तालाब जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्रा अन्तर्गत ।

हितग्राही उपरोक्त अनुसार जलाशयों को पट्टे पर लेकर मत्स्य बीज संचयन निर्धारित दर अनुसार करता है, जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	प्रति हेक्टेयर फाय संचय
1.	ग्रामीण तालाब बारहमासी	10000 / - प्रति हेक्टेयर
2.	ग्रामीण तालाब मौसमी	9000 / - प्रति हेक्टेयर
3.	सिंचाई तालाब	1000 / - प्रति हेक्टेयर

मत्स्य उत्पादन :-

विभाग द्वारा संचालित अर्निया जलाशय में उन्नत प्रजाति का मछली बीज संचय कर मछुआ सहकारी/समिति/मछुआ समूह से अनुबंध कर निम्न स्वत्व आधार पर मत्स्याखेट कार्य करवाया जाता है व उत्पादित मत्स्य से सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रजाति	स्वत्व शुल्क दर
प्रमुख सफर	14.00 रूपये प्रति किलो
स्थानीय बडी	10.00 रूपये प्रति किलो
स्थानीय छोटी	08.00 रूपये प्रति किलो

मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1548/2008 /26 भोपाल दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के तहत मत्स्यपालन की नवीन नीती एवं त्रिस्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के अधिकार एवं कार्यक्रमों अन्तर्गत विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2071/04/36/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.12.2004

संचालक,
मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश

विषय :- शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मछुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एवं दरों में पुनरीक्षित ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 970, 971/म/सह/03-04 दिनांक 07.02.2004 ।

राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-2/51/81/36 दिनांक 06.11.1982 एवं ज्ञापन क्रमांक ई-2/44/36/90 दिनांक 07.10.92 एवं दिनांक 05.11.1992 को अतिक्रमित करते हुए मछुओं को मछली पालन के 30 दिवसीय प्रशिक्षण के स्थान पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित दर की स्वीकृति प्रदान करता है ।

क्रमांक	विवरण	शासन ज्ञापन क्रमांक ई-2/44/36/90 दिनांक 07.10.92 एवं दिनांक 05.11.92 से स्वीकृत 50 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी दरों का विवरण	प्रस्तावित 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत प्रति प्रशिक्षणार्थी पुनरीक्षित दर की विवरण (राशि रुपये में)
1.	प्रशिक्षण वृत्ति मय क्षतिपूर्ति भत्ता के	रु. 750/- अथवा रु. 25/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	रु. 750/- अथवा रु. 50/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
2.	नायलोन धागा	2 किलो नायलोन धागा तथा रुपये 400/- अथवा बाजार दर अधिकृत विक्रेता	रु. 400/- मूल्य की सीमा तक का नायलोन धागा
3.	प्रशिक्षणार्थी के आने जाने का वास्तविक किराया तथा प्रशिक्षण व्यवस्था	रु. 100/-	रु. 100/-
	योग :-	रु. 1250/-	रु. 1250/-

नोट :- आवेदन सादे कागज पर उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन को प्रस्तुत करना होगा ।

पंचायत के निस्तारी तालाबों/नगर निकाय के तालाबों में अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को अनुदान की योजना

योजना – शर्तें

1. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे अनुसूचित जाति मत्स्य पालकों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी जो शासन नीति अनुसार ग्राम पंचायतों/नगर निकायों से तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करते हो ।

स. क्रं.	कार्य जिसके लिए अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) प्रतिशत			अनुदान की अधिकतम सीमा (रु. में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवे वर्ष तक	छटवें वर्ष से शेष पट्टावधि तक	
1.	तालाब पट्टा राशि के भुगतान हेतु	100	50	25	8500.00
2.	मछली बीज संचयन हेतु	100	50	25	1300.00
3.	नाव-जाल के क्रय हेतु	100	100	—	2500.00
4.	मत्स्य खाद्य, उर्वरक, खाद दवा आदि	100	50	25	2700.00
	कुल योग रुपये				15000.00

(अक्षरी रुपये पन्द्रह हजार मात्र)

2. मत्स्य पालकों को अनुदान का नगद भुगतान नहीं किया जावेगा, उन्हें इसका लाभ कार्य अथवा वस्तु के रूप में दिया जायेगा ।
3. मत्स्य पालकों के लिये उपर्युक्तानुसार अनुदान अधिकतम 1-5 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब हेतु निर्धारित है । अतः मत्स्य पालकों को उपर्युक्त कार्यों के लिये अनुदान की स्वीकृति पट्टे पर प्राप्त तालाब की वास्तविक पट्टा राशि/जलक्षेत्र के आधार पर गणनानुसार दी जावेगी ।
4. मत्स्य पालकों को द्वितीय एवं आगामी वर्षों में अनुदान की पात्रता पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान के सदुपयोग किये जाने की दशा में पंचायत के मार्गदर्शन अनुसार नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक अपनाने एवं मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जानकारी देने रहने की स्थिति में ही हो सकेगी ।
5. मत्स्य पालकों को पात्रता अनुसार स्वीकृत अनुदान में से पट्टा राशि का भुगतान संबंधित पंचायत/नगर निकाय की, मछली बीज, नाव-जाल, खाद एवं खाद्य आदि का भुगतान अधिकृत प्रदायकर्ता को किया जावेगा । जाल-नाव हेतु प्रावधानित अनुदान सहायता अवधि के प्रथम पांच वर्षों के दौरान समान किशतों में देय होगा ।

6. योजनान्तर्गत लाभार्थी को किसी भी दशा में अन्य योजनाओं से मछली पालन के लिये अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी ।
7. मत्स्य पालन अनुदान के लिये पूर्ण जानकारी देते हुए संलग्न प्रारूप में प्रार्थना पत्र क्षेत्र में प्रदस्थ सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से जिला पंचायत को प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
8. तालाब पट्टा धारक समूह के सभी सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने की स्थिति में ही अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा ।
9. मत्स्य पालकों को जिला पंचायतें, वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित धनराशि की सीमा तक ही अनुदान स्वीकृत कर सकेगी ।

विशेष शर्तें :-

1. तालाब पट्टा, अनुबंध की शर्तों एवं शासन की नीति अन्तर्गत दोषी/बकायादार मत्स्य पालक इस योजना के तहत अनुदान की पात्र नहीं रहेंगे ।
2. पूर्व स्वीकृत एवं संचालित योजना के तहत लाभांवित सतत मत्स्यपालक पुनरीक्षित दर पर शेष सहायता के पात्र रहेंगे ।

नोट :- आवेदन सादे कागज पर उपसंचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन को प्रस्तुत करना होगा ।

सिचाई जलाशयों में अनुसूचित जनजाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान

अनुदान – शर्तें

1. अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोजना क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के मछुआ सहकारी समिति को पंचायतों, सिचाई एवं अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय निकायों के तालाबों को शासन नीति अनुसार पट्टे पर लेने और ऐसे तालाबों में पंचायत की तकनीकी मार्गदर्शन में प्रचलित नीति एवं नियमों का पालन करते हुए मत्स्य पालन करने की दशा में योजनान्तर्गत निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी :-

स. क्रं.	कार्य जिसके लिए अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) प्रतिशत			अनुदान की अधिकतम सीमा (रु. में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवे वर्ष तक	छठवें वर्ष से शेष पट्टावधि तक	
1.	हिस्सा पूंजी अंशदान हेतु	100 %	100 %	100	5000.00
2.	तालाब पट्टा राशि के भुगतान हेतु	100 %	50 %	25	42500.00
3.	मछली बीज क्रय एवं संचयन हेतु	100 %	50 %	25	52500.00
4.	जाल-नाव के क्रय हेतु	100 %	100 %	—	50000.00
	कुल योग रूपये				150000.00
(अक्षरी रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)					

अनुसूचित जनजाति वर्ग की मछुआ सहकारी समितियों को योजनान्तर्गत उपर्युक्त सहायकी की अधिकतम सीमा रूपये 1.50 लाख (अक्षरी रूपये एक लाख पचास हजार) 100 हेक्टेयर जलक्षेत्र के सिचाई जलाशय में मत्स्योद्योग विकास हेतु निर्धारित है ।

हितग्राही समिति को 100 हेक्टेयर सिचाई, जलक्षेत्र से कम का तालाब अथवा अधिक जलक्षेत्र का तालाब आवंटित होने की दशा में, समिति को अनुदान वास्तविक जलक्षेत्र के आधार पर गणना कर स्वीकृत किया जावेगा ।

2. हितग्राही समिति शत-प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की पंजीकृत होने एवं पट्टे पर तालाब/जलाशय लेकर मछली पालन करने की दशा में ही अनुदान की पात्रता होगी ।
3. हितग्राही समिति को अनुदान का नगद भुगतान नहीं किया जावेगा । हिस्सा पूंजी अंशदान का भुगतान संबंधित सहकारी बैंक को, मछली बीज संचयन, नाव आदि का भुगतान अधिकतम प्रदायकर्ता को किया जावेगा । जाल/नाव हेतु प्रावधानिक अनुदान सहायता अवधि के प्रथम पांच वर्षों के दौरान समान किश्तों में देय होगा ।
4. अनुदान राशि 01 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले, एक ही वित्तीय वर्ष के लिये वास्तविक व्यय पर आधारित होगा ।
5. मछली बीज, जाल, नाव आदि का क्रयकरण प्रदेश के अधिकृत विक्रेता से किये जाने पर ही समिति को अनुदान की पात्रता होगी ।

6. समिति, पंचायत के अधिकारी को अपने तालाब जलाशयों, उनसे आखटित मछला, उपकरणों आदि एवं आलेखों का निरीक्षण करने के लिये मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगी ।
7. योजनान्तर्गत की द्वितीय एवं आगामी वर्षों में पात्रता अनुसार अनुदान पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान के सदुपयोग एवं समिति का कार्य संतोषजनक होने पर ही स्वीकृत किया जावेगा ।
8. समिति अनुदान के लिये संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र अपनी प्रबंध समिति के प्रस्ताव एवं समिति के सदस्यों की अद्यतन जानकारी के साथ सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी ।
9. जिला पंचायतें वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त आवंटन की सीमा तक अनुदान स्वीकृत कर सकेंगी ।

विशेष शर्त :-

1. तालाब पट्टा अनुबंध की शर्तों एवं शासन नीति अन्तर्गत दोषी/बकायादार मत्स्योद्योग सहकारी समितियां इस योजना के तहत अनुदान की पात्र नहीं रहेगी ।

नोट :- आवेदन सादे कागज पर उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन को प्रस्तुत करना ।

बचत सह-राहत योजना

संचालनालय मत्स्योद्योग भोपाल का पत्र क्रमांक 2044/म/बी/2004-05 दिनांक 11.08.2004

बन्द ऋतु में तालाबों में मत्स्याखेट बन्द रहता है जिससे कि आपकी समिति सदस्यों को आर्थिक कठिनाईयां आती है, इसी के दृष्टिगत यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें माह सितम्बर 2004 से मई 2005 तक प्रति सदस्य 50.00 रुपये जमा करने पर 9 माह पश्चात 450 रुपये प्रति सदस्य जमा होंगे तथा इतनी ही राशि विभाग द्वारा जमा की जाएगी तथा बन्द ऋतु में प्रति सदस्य तीन माह रुपये 300/- भुगतान किया जावेगा ।

अनुबंध - 1

“ ताजा जल जलकृषि का विकास” संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदित सहायताओं की पद्धति का दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.स.	मदों का विवरण	छरें
1.	लाभार्थियों को अपनी भूमि पर इनलैट, आउटलैट और उथले ट्यूबवेलों की अच्छी तरह जांच करने के बाद नए तालाबों और टेंको का निर्माण ।	मैदानी क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिए अधिकतम सीमा 750000 प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है सभी किसानों के लिए 60000 प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा से 20 प्रतिशत की दर पर राज सहायता दी जाती है । पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 4.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर/सभी किसानों को 80000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर इनके लिए 100000 रुपये प्रति हेक्टेयर 25 प्रतिशत है ।
2.	तालाबों/टेंको का पुनरुद्धार/नवीनीकरण	75000 प्रति हेक्टेयर सभी किसानों को 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर इनके लिए यह 18750 रुपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है ।
3.	मछली बीमारियों के लिए प्रथम वर्ष आदान (मछली, बीज, मछली, आहार, उर्वरक, खाद और नियंत्रक उपाय (ईयूएस)	50000 रुपये प्रति हेक्टेयर सभी किसानों के लिए 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिसके लिए यह 12500 रुपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है ।
4.	पर्वतीय क्षेत्रों में बहते जल में मछली पालन	100 वर्ग मीटर की प्रति ईकाई में 20000 रुपये उपरोक्त लागत में आदानों के 4000 रुपये शामिल है । सभी किसानों के लिए 4000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिए यह 5000 रुपये प्रति ईकाई (25 प्रतिशत) है । अनुदान प्राप्त होने की शर्तों में प्रत्येक किसान के लिए 3 ईकाईयों की अधिकतम सीमा ।

5.	समेकित मछली पालन	80000 रुपये प्रति हेक्टेयर । सभी किसानों के लिए 16000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिए यह 20000 रुपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है ।
6.	ऐरिएटर/पम्प	50000 रुपये/दो 1. एचपी ऐरिएटर/एक एच पी डीजल पम्प की ईकाई । उन किसानों के लिए जिन्होंने 3000 कि.ग्रा/हेक्टेयर/वर्ष का उत्पादन स्तर हासिल कर लिया है तथा इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, को 12500 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 25 प्रतिशत की दर से राज सहायता सीमा/एक हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए अधिकतम दो एच.पी. ऐरिएटर/एक 5 एच पी डीजल पम्प स्वीकार्य है ।
7.	ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी	मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फ़ाई) क्षमता वाली एक मत्स्य बीज हैचरी के लिए 12.00 लाख रुपये तथा पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समान क्षमता के साथ 16.00 लाख रुपये मैदानी क्षेत्रों में 1.20 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.60 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से राज सहायता केवल उद्यमियों को ।
8.	मत्स्य बीज ईकाईयां	ईकाई लागत 7.5 लाख रुपये है इसको निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा । 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता ।
9.	वाहनों की खरीद	प्रत्येक नई मत्स्य पालन विकास एजेंसी (एम एफ) (एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिशत लागत तथा वाहन को बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिशत लागत)
10.	राज्य स्तर पर (प्रत्येक संबंधित राज्य में एक) ताजा जल झींगा बीज की बड़ी हैचरियों की स्थापना तथा लाभार्थियों के लिए छोटी	25 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30 लाख रुपये है । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य का एक मुश्त अनुदान है । 5-10 मिलियन/पीएल/वर्ष की क्षमता वाली छोटी हैचरी की यूनिट लागत 12.00 लाख रुपये है । केवल उद्योगपतियों को 2.40 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता ।
11.	जल गुणवत्ता तथा मछली के स्वास्थ्य की जांच के लिए राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना	यूनिट लागत 25 लाख रुपये (भवन निर्माण) के लिए 25 लाख रुपये तथा उपकरण कांच के सामान एवं रयासन आदि के लिए 5 लाख रुपये है । यह राज्यों के लिए एक मुश्त अनुदान है । प्रचालन लागत संबंधित राज्यों द्वारा वहन की जाएगी ।
12.	प्रत्येक एफ.एफ.डी.ए. को मिट्टी एवं जल परीक्षण किट का प्रावधान	प्रत्येक मिट्टी एवं जल परीक्षण किट की यूनिट लागत 40000 रुपये है । प्रत्येक एफ.एफ.डी.ए. को एक मुश्त अनुदान के रूप में एक बार किट मंजूर की जाती है ।

13.	सजावटी मछलियों के लिए हैचरियों सहित समेकित यूनिटों का गठन	यूनिट लागत 25 लाख रुपये है जिसमें 5-10 मिलियन (फ़ाई) की क्षमता की हैचरी शामिल है । मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए 1.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से राज सहायता ।
14.	मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई	यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफ.एफ.डी.ए. को ढुलाई किए गए 1000 फ़ाई के लिए 30 रुपये की दर से राजसहायता व्यक्तिगत मत्स्य किसानों के लिए लागू नहीं है ।

एफ.एफ.डी.ए. के अन्तर्गत उपरोक्त सहायता लाभार्थियों को केवल एक बार उपलब्ध है ।

नये तालाबों तथा टैंकों के निर्माण तथा तालाग/टंकी के पुनरुद्धार नवीनीकरण के लिए राजसहायता अकेले लाभार्थी को 1 हेक्टेयर से कम तथा 5 हेक्टेयर तक के लिए मैदानी क्षेत्रों संस्थागत वित्त के साथ अथवा उसके बिना प्रथम वर्ष आदान उपलब्ध है और पर्वतीय राज्यों/जिलों में 1.0 हेक्टेयर यथा अनुपात आधार पर उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघों के जरिए मछुआरा सहकारी समितियों को भी विकासात्मक गतिविधियों के लिए राजसहायता के रूप में उपरोक्त सहायता उपलब्ध है ।

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन अन्तर्गत श्रीमती हिरा उईके, सहायक वर्ग-2 द्वारा निम्नानुसार आलेख संधारित किया जाता है :-

स्थापना शाखा :-

1.) व्यक्तिगत आलेख अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

1. द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संधारण ।
2. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, कार्यमुक्ति तथा उपस्थिति आदि ।
3. वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति ।
4. अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश, अवैतनिक अवकाश तथा आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश बाबत कार्यवाही ।
5. सेवा पुस्तिका अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों का सेवा सत्यापन कार्य ।
6. वांछित समस्त प्रविष्टियाँ संधारित सेवा पुस्तिका में करना ।

2.) न्यायालयीन प्रकरण :- कर्मचारियों के संबंध में -

1. छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन — एक प्रकरण ।
2. वरिष्ठता बाबत — एक प्रकरण ।
3. सेवा में लेने हेतु — श्रीमती ललिता बाई पति करणसिंह

इस प्रकार न्यायालयीन प्रकरणों की अलग-अलग पंजी संधारित करना व नस्थी संधारण करना ।

3.) विभागीय जांच :- अधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित -

वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कार्यालय प्रमुख को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने पर तत्संबंधी समस्त कार्यवाही करने संबंधी नस्थी संधारण करना ।

4.) गोपनीय प्रतिवेदन :- कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की पंजी संधारित करना एवं नस्थी संधारित करना ।

5.) विभागीय प्रशिक्षण :-

वरिष्ठ कार्यालय या अन्य कार्यालयों द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण पर भेजे जाने बाबत नस्थी संधारण करना ।

6.) निर्वाचन या अन्यत्र ड्यूटी संबंधी :-

निर्वाचन कार्यालय अथवा अन्य कार्यालयों द्वारा अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाये जाने संबंधी नस्थी संधारण करना ।

7.) मासिक प्रगति/त्रैमासिक प्रतिवेदन संबंधी नस्थी संधारण करना निम्नानुसार :-

1. कर्मचारी, अधिकारी के वैयक्तिक मामलों के निराकरण का कर्मचारी कल्याण अभियान ।
2. न्यायालयीन प्रकरण ।
3. अनुकम्पा नियुक्ति ।
4. रिक्त पदों की जानकार अनुसूचित जाति/जनजाति बेकलाग के पदों को भरेन हेतु ।
5. स्टॉफ पॉजीशिन ।

1. वाहन की टुट-फुट, मरम्मत आदि संबंधी नस्थी एवं वाहन रजिस्ट्रेशन रखरखाव ।
2. वाहन अधिगृहण बाबत नस्थी ।
3. डीजल एवं आईल संबंधी पंजी का संधारण, साथ ही पार्टस् पंजी का संधारण ।

5.) जावक :-

1. जावक पंजी का संधारण ।
2. डाक टिकाटों की पंजी का संधारण ।

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन रिकार्ड संधारण लेखा शाखा

1. वेतन देयक, एफ.व्ही.सी., आदि की माहवार पंजी संधारण ।
2. कर्मचारियों को स्वीकृत अग्रिम आदि की पंजी संधारण ।
3. प्राप्त व्यय की पंजी में संधारण ।
4. मासिक व्यय विवरण पत्रक पंजी संधारण ।
5. समस्त कर्मचारियों का जी.पी.एफ. पास बुक संधारण ।
6. जिला योजना की तैयारी एवं पंजी संधारण ।
7. पुनरीक्षित बजट अनुमान की तैयारी ।
8. विभिन्न रजिस्टर का संधारण
 - 1) केश बुक वर्ष 2009-10 ।
 - 2) बिल रजिस्टर वर्ष 2009-10 ।
 - 3) बी.टी.बी. वर्ष 2009-10 ।
 - 4) चेक रजिस्टर 2009-10 ।
 - 5) बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर वर्ष 1999-2009 ।
 - 6) अनाज अग्रिम रजिस्टर वर्ष 2009 ।
 - 7) त्यौहार अग्रिम रजिस्टर वर्ष 2009 ।
 - 8) डी.पी.एफ. रजिस्टर वर्ष 2004-05, 2009 ।
 - 9) स्कूटर अग्रिम रजिस्टर 2009 ।
 - 10) कोर्टनजेन्ट रजिस्टर 2009 ।
 - 11) सिक्यूरिटी रजिस्टर 2009 ।
 - 12) टेलीफोन/किराया भुगतान रजिस्टर 2009 ।

उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं, का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिये (सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुंच योग्य/अभिगम्य हैं ।

बिन्दु क्रमांक – 08

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग उज्जैन अन्तर्गत सम्पादित कोष हेतु गठित कमेटियों की जानकारी :-

योजना शाखा के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु निम्न कमेटियां गठित हैं ।

- 1. तालाब पट्टा आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाना**
 1. ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम सभाएं
 2. जनपद पंचायत स्तर की कृषि स्थायी समिति
 3. जिला पंचायत स्तर पर की कृषि स्थायी समिति
- 2. मत्स्य बीज संचय विभागीय जलाशय**
 1. कार्यालय प्रमुख
 2. जलाशय प्रभारी
 3. जलाशय में कार्यरत दो मछुआ सहकारी समितियों के अध्यक्ष/सचिव
 4. जलाशय क्षेत्रान्तर्गत जनप्रतिनिधी
- 3. मछुआ प्रशिक्षण**

ग्राम पंचायत की अनुशंसा कर एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की अनुशंसा पर चयन किया जाता है ।
- 4. विभागीय ऋण एवं अनुदान**

सहकारी समितियों/मत्स्य पालकों के ऋण एवं अनुदान के प्रकरणों का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषित स्थायी समिति से किया जाता है ।

अभिकरण द्वारा देय ऋण एवं अनुदान के प्रकरण को कृषि स्थायी समिति के द्वारा अनुमोदन एवं मत्स्य कृषक विकास अभिकरण प्रबंधक कार्यकारिणी से स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।

(8) निम्नानुसार नत्स्थी संधारित की जाती है –

1. एम्पलाई डाटा बेस संबंधी पत्राचार ।
2. द्वितीय, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची ।
3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति ।
4. अचल सम्पत्ति ।
5. कार्यालयीन कर्मचारियों के कार्य विभाजन बाबत ।
6. कार्यालय भवन पत्राचार संबंधी ।
7. रोस्टर संधारण बाबत ।

(9) पेंशन प्रकरण बाबत नत्स्थी का संधारण –

(10) स्थापना संबंधी परिपत्र की नत्स्थी का संधारण –

कार्यालय उप संचालन मत्स्योद्योग उज्जैन अन्तर्गत श्रीमती हिरा उईके, सहायक वर्ग 2 द्वारा निम्नानुसार नत्स्थियों एवं पंजीयों का संधारण किया जाता है –

(1) स्थापना शाखा :-

1. चतुर्थ श्रेणी, कांटीजेंसी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नत्स्थियां एवं सेवा पुस्तिका, पेंशन प्रकरण, पदस्थापना, कार्य मुक्ति तथा उपस्थिति आदि ।
2. चतुर्थ श्रेणी वर्दी पंजी का संधारण ।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली पंजी का संधारण ।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति नत्स्थी ।
5. चतुर्थ श्रेणी एवं कांटीजेंसी कर्मचारियों के अवकाश सभी प्रकार के नत्स्थी ।
6. न्यायालयीन प्रकरण – एक ।
नियमित रूप से सेवा में लिये जाने बाबत ।
7. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बहाली बाबत नत्स्थी ।

समय-समय पर परिपत्रों के आधार पर जानकारी बाबत नत्स्थी, मासिक जानकारी की नत्स्थी एवं नियुक्ति आदेश की नत्स्थी ।

(2) समस्त सामग्रीयों का क्रयकरण/भण्डार शाखा :-

प्राप्त अधिकारियों के स्थाई एवं अस्थायी सामग्री का क्रयकरण नत्स्थी, क्रयकरण हेतु समिति का गठन, क्रय आदेश एवं अन्य कार्यवाही संबंधी नत्स्थी ।

1. परिशेबल एवं पंजी का संधारण ।
2. नानपेरिशेबल पंजी का संधारण ।

(3) स्टेशनरी क्रयकरण :-

अधिकारियों के तहत गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर क्रयकरण नत्स्थी

1. स्टेशनरी पंजी का संधारण ।
2. क्रय पुस्तकों की पंजी का संधारण ।

(4) वाहन का रखरखाव :-

वाहन पी.सी.ओ. पंजी एवं लॉग बुग वाहन सुधार पंजी संधारित म0क0वि0अ0 कि योजना क्रियान्वयन द्वारा संचालित समस्त कार्य योजनाओं के लिये किये गए कार्यों की स्वीकृति मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की प्रबंध कार्यकारणी द्वारा किया जाता है जो निम्नानुसार है ।

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | अध्यक्ष |
| 2. कार्यालय जिला प्रमुख (उप संचालक मत्स्यों, उज्जैन) | सदस्य |
| 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 4. सहायक पंजीयक सहकारी समितियां | सदस्य |
| 5. उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा | सदस्य |
| 6. बैंक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. दो अशासकीय व्यक्ति | सदस्य |
| 8. कार्य पालन यंत्री जल संसाधन विभाग | सदस्य |

स्थापना शाखा :-

1. संयुक्त परामर्श दात्री समिति का गठन :-

कार्यालय प्रमुख	अध्यक्ष
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संध के अध्यक्ष	सदस्य
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संध के अध्यक्ष	सदस्य
कार्यालय के दो कर्मचारी	सदस्य

क्रय शाखा/स्टेशनरी क्रय – समस्त सामग्री एवं लेखन सामग्री के क्रयकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन :-

1. क्रयकरण समिति :-

- | | | |
|----|----------------------|---------|
| 1. | उप संचालक | अध्यक्ष |
| 2. | सहायक मत्स्य अधिकारी | सदस्य |
| 3. | मत्स्य निरीक्षक | सदस्य |

2. भंडार अनुपयोगी सामग्री के अपलेखन हेतु समिति का निम्नानुसार गठन :-

1. कार्यालय प्रमुख अध्यक्ष
2. दो अन्य सदस्य अधिकारी

3. क्रमोन्नति

क्रमोन्नति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन

- | | | |
|----|-------------------|------------|
| 1. | कार्यालय प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2. | राजपत्रित अधिकारी | सदस्य – दो |

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

वर्ष 2009-2010 में प्राप्त बजट आवंटन की जानकारी जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रं.	योजनावार मद	मांग संख्या-16		मांग संख्या-64		मांग संख्या-15		मांग संख्या-80		मांग संख्या-92		मांग संख्या-41	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	1450 जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास												
	33 अनुरक्षण	5000	4771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 अन्य प्रभार	135000	76865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	3314 मत्स्य बीज उत्पादन												
	32 लघु निर्माण	15000	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 अनुरक्षण 002 मैन्टेनेंस ऑफ मशीनरी इपक्यू	15000	14987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 अन्य प्रभार	52000	51904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6356 बचत सह राहत	200000	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	3313, मत्स्य पालन प्रसार 41 प्रशिक्षण वृत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	3313 मत्स्य पालन 42 अनुदान 002 मेन्टेनेंस ग्रांट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42 अनुदान 007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	4417 मछुआ सह.स.को. अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-
	42 अनुदान 007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	4217 विस्तार और प्रशिक्षण 42 अनुदान 007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	-

क्र.	योजनावार मद	मांग संख्या-16		मांग संख्या-64		मांग संख्या-15		मांग संख्या-80		मांग संख्या-92		मांग संख्या-41	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.	8625 मत्स्यबीज बचत सह. राहत	-	-	4000	-	-	-		-	-	-	-	-
8.	4970 मत्स्य कृषक विकास अभि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42 अनुदान 002 संधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 अनुदान 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	4224 शिक्षण प्रशिक्षण 007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42 अनुदान 007 अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	आयोजनेत्तर अन्तर्गत	1918500	2319306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>योग योजना मद</u>	2340500	2478633	4000	-	-	-	-	-	30000	-	-	-

बिन्दु क्रमांक – 12

क्रमांक	योजना का नाम	हितग्राही का नाम एवं पता	जाति	अनुदान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्री सुरेन्द्र पिता कन्हैयालाल ग्राम-झलारा, तहसील तराना	सामान्य	40000 / -
2.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्री अमजत/यासीन खॉ ग्राम - महिदपुर तहसील महिदपुर	अल्पसंख्यक	40000 / -
3.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्रीमती फुलीबाई पति शंकर ग्राम-चम्वलपाडल्या तहसील खाचरौद	अनुसूचित जाति	44000 / -
4.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्री बनेसिंह पिता अम्बाराम ग्राम - रूद्राहेडा तहसील महिदपुर	अनुसूचित जाति	25000 / -
5.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्री भेरूलाल पिता नाथाजी नौगावा तह. उज्जैन	कुमावत	30000 / -
6.	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	श्री फरीद खॉन पिता बैषीर	पटेल	30000 / -

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग जिला उज्जैन (म.प्र.)

आदेश – लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
जिला उज्जैन	उपसंचालक मत्स्योद्योग	–	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल
विकास खण्ड				
उज्जैन तराना	उपसंचालक मत्स्योद्योग	श्री पी.डी. नापित मत्स्य अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल
महिदपुर घटिया	उपसंचालक मत्स्योद्योग	श्री यू.सी. भाटी सहायक मत्स्य अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल
बड़नगर खाचरौद	उपसंचालक मत्स्योद्योग	श्री जे.के. वरैहया मत्स्य निरीक्षण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल
जिला उज्जैन कार्यालय	उपसंचालक मत्स्योद्योग	श्री पी.डी. नापित तकनीकी सहायक मत्स्य अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रं. से म/यो/2009-10 उज्जैन दि.
प्रतिलिपि :-

1. संचालक मत्स्योद्योग म0प्र0 भोपाल की ओर फेक्स पत्र क्रं. 2356 दि. 16.09.05 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन/तराना/घटिया/खाचरौद/महिदपुर/बड़नगर की ओर सूचनार्थ ।
6. उक्तानुसार सर्व संबंधित श्री
..... की ओर सूचनार्थ ।

**प्रभारी उप संचालक मत्स्योद्योग
जिला उज्जैन (म.प्र.)**

स.क्रं.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. मांग संख्या –15		
	3313 मत्स्य पालन प्रसार 42-ग्रान्ट इन एड 009-अन्य	5000	5000
	4970-मत्स्य पालन प्रसार, म0कृ0वि0 अभिकरणों को अनुदान 42 ग्रान्ट इन एड 002 मेन्टेनेंस ग्रान्ट 009-अन्य	— —	— —
	4217-शिक्षण प्रशिक्षण 42-ग्रान्ट इन एड 009-अन्य	5000	—
	योग : मांग संख्या – 15	10000	6600
2.	1. मांग संख्या – 80		
	3313 मत्स्य पालन प्रसार 41 Sipend and Schelar Ship 002 Schalar Ship	—	—
	42 Grant in aid 002 Maintenance Grant 007 Others	50000 220000	30240 82500
	4217 विस्तार एवं प्रशिक्षण 42 ग्रान्ट इन एड 007 – अन्य	25000	8000
	4427 मछुआ सहकारी समिति को अनुदान 42 ग्रान्ट इन एड 007 अन्य	25000	—
	योग : मांग संख्या – 80	220000	90240